दिनांक: 28.06.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा लूट की झूठी सूचना देकर रुपयों का गबन करने वाले पेट्रोल पम्प के मैनेजर सहित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1,20,000/- रुपये नगद व 02 मोबाईल फोन व 01 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.06.2025 को वादी श्री रविन्द्र सिंह पुत्र देशराज निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा अपने पट्रोल पंप पर नियुक्त मैनेजर सौरभ कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम बरसी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर द्वारा पैट्रोल पंप के लगभग 1,50,000/- रुपये को रास्ते मे लूट लिए जाने की झूठी सूचना देकर पैसो को स्वयं हडप करने के संबन्ध मे तहरीर दी, जिसके संबन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0सं0 143/2025 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस मे दर्ज किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27/28.06.2025 की रात्रि में थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्तगण 1.सौरभ कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम बरसी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर** व उसके साथी अभियुक्त **2. गुरमीत पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम ढायकी थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को रेलवे स्टेशन नानौता के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरमदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2), 317(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्तगण को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण:- अभियुक्त सौरभ ने पूछने करने पर बताया कि मैं रविन्द्र पुण्डीर के दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित चन्द्रभान सिंह पैट्रोल पंप पर मैनेजर के रुप मे काम करता हूँ। मुझे आनलाईन गेम खेलने की आदत है जिसमे मैने काफी पैसे लगाये थे और हार गया था जिससे मुझ पर कर्जा हो गया था मेरे मामा का लडका मोहित उर्फ गुरमीत पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम ढायकी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर भी आनलाईन गेम खेलता है और वह भी गेम मे पैसे हार गया था हम दोनो ने मिलकर प्लान बनाया कि मै पट्रोल पंप के तेल वाले पैसे बैंक में जमा करने जाता हूँ तो रास्ते मे झूठी लूट दिखाकर पैसो को आपस मे बाँट लेगें और सबको लगेगा कि वो पैसे कोई लूट कर ले गया। दिनांक 27.06.2025 को मैने मोहित को नानौता बुला लिया था और योजना के अनुसार मै पैट्रोल पंप से पैसे लेकर बैंक मे जमा करने के लिए जा रहा था रास्ते मे ही मैने वो पैसे मोहित को दे दिये मोहित पहले से ही रास्ते मे खडा था और अपने सिर मै हल्की सी चोट मार ली और अपना मोबाईल फोन भी मोहित को दे दिया था ताकि सबको यह घटना सच लगे मै पैट्रोल पम्प से 1,20,000/- रुपये लेकर आया था और मालिक को मैने 1,50,000/- रुपये लूटने की सूचना दी थी क्योकि 28-30 हजार रुपये मैने पहले ही गेम मे लगाये हुए थे जो मैने पहले ही पैट्रोल पम्प के पैसो से खर्च किये हुए थे। हमारा प्लान था कि इन पैसो को आपस मे बाँट लेगें।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. सौरभ कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम बरसी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
2. मोहित उर्फ गुरमीत पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम ढायकी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1,20,000/- रुपये नकद दर्शायी गयी लूट की घटना से संबन्धित
- 01 मोबाईल फोन कथित लूट की घटना से सम्बन्धित
- 01 मोबाईल फोन अभियुक्त का
- 01 मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस बिना नंबर प्लेट

अभियुक्त सौरभ कुमार का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 354/23 धारा 120बी/392/411 भादवि0 थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2.मु0अ0सं0 363/23 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3.मु0अ0सं0 01/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त मोहित उर्फ गुरमीत का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 180/2020 धारा 147/148/ 188/269/270/ 323/325/354(ख) /452/504 भादवि थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 321/2020 धारा 307/399/402/411 भादवि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 327/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 517/2020 धारा 2/3 आर्म्स गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 839 कपिल राणा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
7. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 28.06.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट/टिप्पणी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.06.2025 को अभियुक्त मिन्टू बर्मन पुत्र राजपाल बर्मन निवासी ग्राम पटना थाना चिलकाना सहारनपुर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट किये जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 142/2025 धारा 353(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु व सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर निगरानी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना चिलकाना श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.06.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **अभियुक्त मिन्टू बर्मन पुत्र राजपाल बर्मन निवासी ग्राम पटना थाना चिलकाना सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मिन्टू बर्मन पुत्र राजपाल बर्मन निवासी ग्राम पटना थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. का0 2400 दीप चन्द थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांक: 28.06.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 40 पव्वे देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इस कारोबार में संलिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी नानौता श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.06.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर **अभियुक्त इन्द्रपाल पुत्र स्व हरचन्द निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को ग्राम कचरई से ग्राम गुडम्ब जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 40 पव्वे अवैध देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त इन्द्रपाल के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 144/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ एवं शराब/नशे का आदि हूँ। नशे की जरुरत पूरी करने के लिए अधिक दाम पर शराब बेच देता हूँ जिससे मुझे मुनाफा हो जाता है एंव नशे का काम हो जाता है आज भी में शराब बेचने जा रहा था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इन्द्रपाल पुत्र स्व0 हरचन्द निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- कुल 40 अवैध पव्वे देशी शराब

आपराधिक इतिहास अभि0 इन्द्रपाल-

1. मु0अ0स0 266/19 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 144/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 28.06.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 17 अद्धे अवैध अग्रेजी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब व इसके कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.06.2025 को चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर **अभियुक्त रेशू उर्फ रिषभ पुत्र बरवा निवासी पुराना कमेंला ,बाल्मिकी मौहल्ला पटेल नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को सुभाष नगर कालौनी के पास बन्द रास्ते पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 17 अद्धे अवैध शराब बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 195/2025 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अवैध शराब की खरीद फरोख्त का धंधा करता हूँ। आसपास के क्षेत्रो मे व गाँव मे पीने वाले व्यक्तियो को अच्छे दामो मे बेचता हूँ, जिससे मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। आज भी मै शराब बेचने के लिये खड़ा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रेशू उर्फ रिषभ पुत्र बरवा निवासी पुराना कमेंला ,बाल्मिकी मौहल्ला पटेल नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 17 अद्धे नाजायज शराब अग्रेजी

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0सं0 104/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह अधाना थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 2028 प्रवीण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 2261 राजेन्द्र राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 677 विपिन मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.06.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत जुआ अधि0 से सम्बन्धित 18 मुकदमाती माल का नियमानुसार निस्तारण किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना पर लम्बित मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन क्लीन"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक देहात एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द श्री रविकांत पाराशर के निकट पर्यवेक्षण में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे श्रीमान एसडीएम देवबन्द, सहायक अभियोजन अधिकारी देवबन्द व प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार व हेड मोहर्रिर 497 सचिन कुमार की मौजूदगी में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा आज दिनाँक 28.06.2025 को वर्ष 2019, 2020, 2021 के जुआ अधि0 से सम्बन्धित 18 मुकदमाती माल का निस्तारण किया गया तथा पर्चा सटटा, गत्ता व ताश के पत्ते आदि को नियमानुसार विनिष्ट किया गया तथा उपरोक्त से सम्बन्धित धनराशि मुबलिक—13,532/- रू0 को राजस्व के रूप मे अकब से जमा कराया जायेगा।

विनिष्टीकरण के समय उपस्थित अधि0गण

1. श्री अरूण कुमार एसीडीएम देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. श्री रविकांत पाराशर क्षेत्राधिकारी देवबन्द सहारनपुर
3. श्री मनोज कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी देवबन्द सहारनपुर
4. श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द सहारनपुर
5. हैड मोहर्रिर 497 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

दिनांकः 28.06.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.05.2025 को वादी मनोज राणा पुत्र श्री नेपाल सिंह निवासी मौहल्ला बधाई पट्टी रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ने तहरीर किया कि विपक्षीगण 1.नीटू उर्फ प्रवीण पुत्र व पता अज्ञात व 2.आठ- दस अज्ञात व्यक्तियो के द्वारा एक साथ मिलकर वादी के घर में घुस कर अपने हाथो में देशी तमन्चा व धार दार हथियार लेकर वादी व वादी के परिवार को जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 267/2025 धारा 333/191(3)/190/109(1) बी0एन0एस0 अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.06.2025 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिग के दौरान पर मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश मे आये वांछित शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त **नीरज पुत्र स्व0 जयपाल निवासी ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को ग्राम रणखण्डी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नीरज पुत्र स्व0 जयपाल निवासी ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 94/22 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर मु0नगर
2. मु0अ0स0 134/22 धारा 307 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर मु0नगर
3. मु0अ0स0 44/24 धारा 307, 452, 504, 506 भादवि 25, 27, 3 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना देवबंद
4. मु0अ0स0 134/22 धारा 147, 148, 149, 307, 504 भादवि चालानी थाना देवबंद
5. मु0अ0स0 135/22 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि चालानी थाना देवबंद
6. मु0अ0स0 317/21 धारा 147, 148, 323, 506 भादवि चालानी थाना देवबंद
7. मु0अ0स0 502/24 धारा 110, 115(2), 117(2), 131, 351(3), 352 बीएनएस चालानी थाना देवबंद

8. मु0अ0स0 860/19 धारा 110, 115(2), 117(2), 131, 351(3), 352 भादवि व 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट चालानी थाना देवबंद
9. मु0अ0स0 34/20 धारा 323/506 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द) एससी एसटी एक्ट चालानी थाना देवबंद
10. मु0अ0स0 406/13 धारा 323, 323, 452, 452, 504, 504, 506, 506 भादवि चालानी थाना देवबंद
11. मु0अ0स0 543/13 धारा 110(G) सीआरपीसी चालानी थाना देवबंद
12. मु0अ0स0 676/13 धारा 307, 307, 323, 323, 452, 452, 504, 504, 506, 506 भादवि चालानी थाना देवबंद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 रणवीर सिह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 931 परविन्दर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 344 विकास कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 2171 नीरेश थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.06.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 19 मुकदमो में बरामद की गई करीब 220 लीटर अवैध शराब (कीमत करीब 01 लाख 50 हजार) का मा0 न्यायालय के आदेश से विनष्टीकरण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थानों पर लम्बित मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन क्लीन"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोदय जनपद सहारनपुर के आदेश दिनाकं 15.04.2025 के अनुपालन में श्रीमान नायब तहसीलदार भूपेन्द्र सिंह तहसील बेहट सहारनपुर की अध्यक्षता में श्रीमान मुनीशचन्द्र क्षेत्राधिकारी बेहट, श्री अखण्ड प्रताप सिंह सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय सदर सहारनपुर, श्री राजकमल चौहान आबकारी निरीक्षक व श्री अजय कुमार प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर के कुशल नेतृत्व मे थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.06.2025 को **वर्ष 2024 मे आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 19 अभियोगों मे बरामद कुल 220 लीटर अवैध शराब जिसकी कीमत करीब 01 लाख 50 हजार** को विकासनगर रोड पंजना नदी मे गहरा गढ्डा जे0सी0बी से खुदवाकर समस्त मालो को उसमे दबवाकर नष्ट किया गया।

नष्ट की गयी अवैध शराब का विवरण –

1. अग्रेंजी शराब करीब 30 लीटर
2. देशी शराब करीब 190 लीटर

अवैध शराब निस्तारण हेतु गठित टीम सदस्यो के नाम-

1. श्री मुनीशचन्द्र क्षेत्राधिकारी बेहट जिला सहारनपुर
2. श्री भूपेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार तहसील बेहट जिला सहारनपुर
3. श्री अखण्ड प्रताप सिंह सहायक अभियोजन अधिकारी सदर न्यायालय सहारनपुर
4. श्री अजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. श्री राजकमल चौहान आबकारी निरीक्षक सहारनपुर
6. हैड मोहर्रिर 1012 गौरव कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांकः 28.06.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शस्त्र के 05 मुकदमों मे बरामद कुल 03 अवैध तमंचे व 02 छूरी को मा0 न्यायालय के आदेश से नष्ट किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थानों पर लम्बित मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन क्लीन” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोदय जनपद सहारनपुर के आदेश दिनांक 27.04.2025 के अनुपालन में श्रीमान नायब तहसीलदार भूपेन्द्र सिंह तहसील बेहट सहारनपुर की अध्यक्षता में श्रीमान मुनीशचन्द्र क्षेत्राधिकारी बेहट, श्री अखण्ड प्रताप सिंह सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय सदर सहारनपुर व श्री अजय कुमार प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर व सम्मानित व्यक्ति सनव्वर चौधरी पुत्र ताहिर चौधरी निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की उपस्थिति मे थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.06.2025 को **आयुध अधिनियम से सम्बन्धित 05 अभियोगों में बरामद कुल 03 अवैध तमंचे व 02 छूरी** को लौहार द्वारा छेनी हथौडे से तुडवाकर नष्ट किया गया।

विनिष्टिकरण का विवरण –

- 03 अवैध तमंचे 315 बोर
- 02 छूरी

निस्तारण हेतु गठित टीम सदस्यो के नाम-

1. श्री मुनीशचन्द्र क्षेत्राधिकारी बेहट जिला सहारनपुर
2. श्री भूपेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार तहसील बेहट जिला सहारनपुर
3. श्री अखण्ड प्रताप सिंह सहायक अभियोजन अधिकारी सदर न्यायालय सहारनपुर
4. श्री अजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. हैड मोहर्रिर 1012 गौरव कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6. सनव्वर चौधरी पुत्र ताहिर चौधरी निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर